SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE GODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gobad Dist Birind (M.P. Case No......74 17. Complaint or report madenii Name and address of the Complainant 50 शायिक मजिस्ट् ट प्राप्त प्राप्ते Name, parentage, c. stc and address of accused हमां है। वा शिव्य भिव्य मण्यु विकासी इरायदा The offence, complainant of, and date of, its alleged commission पर आरोप है कि दिनांक 3/03/19 डग्निटी इराम्दा के प्रकारिमा आंकरी आधिपत्य में ... १००० हिर /पाव / बोतल शराय विकय /परिवहन हेतु रखी। ऐसा, करके आपने आबकारी अंे २ 1915 की धारा 34—1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया। क्या आपको जक्त अज़राध काकार है या प्रतिम्हा चाहले हो। TIME SECTION OF SECTION ASSESSMENT The plea of the accused and his examination (if may) चवरनः स्रोकार हैं। न्यून वण्ड शें प्रणिखाः करते का निरोदन एन

02 संक्षिप्त विचारण किया. गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्ह्रापूर्वक स्वीकारोजित ने आधार पर आग्रकारी अविद 1915 की धारा उत- 1 (क) के तहत आरोपी को दोखी वहराय ने स्वेध में अभिलेख पर कोई तथ्य मीजूद नहीं हैं।

03 अभियुक्त को आह ाम अधिक निर्मा असी असी असी कि कि तहता निर्मा न

ामाण्या १० व माट्या शामा

मानव उपकार है। है।

walling it in